भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2996
जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।
20 फाल्गुन, 1947 (शक)

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर

2996. थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकनः
डॉ. रानी श्रीकुमारः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों (जीसीसी) की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीसीसी का क्या योगदान है;
(ग) सरकार द्वारा भारत को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित टियर-2 और टियर-3 शहरों में और अधिक जीसीसी को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा कोई रूपरेखा प्रस्तावित की गई हैं अथवा विचाराधीन है; और
(ङ) क्या सरकार ने साइबर सुरक्षा खतरों, विनियामक जटिलताओं, अवसंरचना संबंधी कमियों और अन्य जैसी जीसीसी के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है या हस्तक्षेप किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सवसेज कंपनीज (नैसकॉम) के अनुसार, भारत में 1700 से अधिक वैश्विक क्षमता केन्द्र (जीसीसी) कार्य कर रहे हैं जो 19 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में इन जीसीसी द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व 64.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

भारत में जीसीसी को मजबूत करना

भारत के जीसीसी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में उभरते टियर-2 शहरों में जीसीसी को बढ़ावा देने पर राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय ढांचे का प्रावधान किया गया है।

तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई) ने उद्योग, उद्योग संघों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों जैसे प्रासंगिक हितधारकों के परामर्श से उभरते टियर-2 शहरों में जीजीसी के विकास के लिए प्रमुख सक्षमकर्ताओं की पहचान की है।

हितधारकों के परामर्श के माध्यम से उभरने वाले प्रमुख कारकों में व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी), अंतर्राष्ट्रीय कराधान में सरलीकरण, श्रम कानूनों का सामंजस्य शामिल है, जिन्हें हाल ही में श्रम सुधारों और वित्त वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के माध्यम से संबोधित किया गया है।

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विशेष रूप से जीसीसी के संबंध में बड़े सुधार किए हैं:

- सेफ हार्बर रिजीम (एसएचआर) के तहत पात्रता सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दी गई

- आईटी, आईटीईएस, केपीओ, सॉफ्टवेयर विकास और अनुबंध अनुसंधान एवं विकास सेवाओं को एक ही श्रेणी यानी "आईटी सेवाओं" के तहत जोड़ा गया है
- सभी "आईटी सेवाओं" के लिए यूनिफॉर्म सेफ हार्बर मार्जिन को घटाकर 15.5% किया गया, जो पहले की 17-24% की उच्च मार्जिन सीमा को बदल देता है
- सेफ हार्बर व्यवस्था के तहत स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया पांच साल के लिए वैध है
- दो साल की लक्ष्य पूर्णता समयसीमा के साथ एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (एपीए) के लिए तेजी से प्रसंस्करण

ये सुधार जीसीसी के लिए कर निश्चितता और व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) प्रदान करते हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि जैसी कई राज्य सरकारें जीसीसी की स्थापना और विस्तार का समर्थन करने के लिए समर्पित नीतियों के साथ आई हैं।

*****